न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
पीठासीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 242/2021 राजस्व प्रार्थनापत्र
श्रीमती लेहरी पुत्री श्री रामा गुर्जर आयु वयस्क निवासी– संजाडी का बाडिया तहसील माण्डल हाल करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) ––प्रार्थीया प्रतिवादी सं. 5

बनाम

01. मियाराम पिता श्री लच्छु गुर्जर निवासी– संजाडी का बाडिया तहसील माण्डल हाल करेड़ा जिला भीलवाड़ा वादी मृतक के कायम मुकाम–
1/1 श्री भागु पिता स्व0 श्री मियाराम गुर्जर आयु वयस्क निवासी– संजाडी का बाडिया तहसील माण्डल हाल करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
1/2 श्रीमती श्रवणी पुत्री श्री मियाराम पत्नी श्री लच्छु गुर्जर आयु वयस्क निवासी– भबाणा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
1/3 श्रीमती देऊ पुत्री श्री मियाराम पत्नी श्री मांगू गुर्जर आयु वयस्क निवासी– तगडिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
1/4 श्रीमती सुखी पुत्री श्री मियाराम पत्नी श्री लादू गुर्जर आयु वयस्क निवासी– तगडिया तहसील केरड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
1/5 श्रीमती सुंदरी पत्नी श्री मियाराम गुर्जर आयु वयस्क निवासी– संजाडी का बाडिया तहसील माण्डल हाल करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. श्री हीरा पुत्र श्री दीपा गुर्जर उम्र बालिग निवासी– संजाडी का बाडिया तहसील माण्डल तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. श्रीमती बगती पत्नी श्री दीपा गुर्जर उम्र बालिग निवासी– संजाडी का बाडिया तहसील माण्डल तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. उदा पुत्र श्री त्रिलोक गुर्जर उम्र बालिग निवासी– संजाडी का बाडिया तहसील माण्डल तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
05. प्यारा पुत्र श्री त्रिलोक गुर्जर उम्र बालिग निवासी– संजाडी का बाडिया तहसील माण्डल तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
06. श्रीमती घीसी पुत्री श्री रामा गुर्जर उम्र बालिग निवासी– संजाडी का बाडिया तहसील माण्डल तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
07. श्रीमती मांगी पुत्री श्री रामा गुर्जर उम्र बालिग निवासी– संजाडी का बाडिया तहसील माण्डल तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
08. श्रीमती सायरी उर्फ सारू पत्नी श्री हीरा गुर्जर उम्र बालिग निवासी– संजाडी का बाडिया तहसील माण्डल तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
09. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा
10. उपपंजीयककरेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

–– विपक्षीगण

प्रकरण संख्या 133/2012 राजस्व वाद निर्णय दिनांक 08/11/2016 व डिक्री दिनांक 12/11/2016 मियाराम बनाम हीरा व अन्य वादपत्र बाबत घौषणा, इन्द्राज, दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 व धारा 151 जा0दी0

उपस्थित :–
1. श्री कमलेश मेहता ––अधिवक्ता प्रार्थीया
2. श्री बाबू लाल आचार्य ––अधिवक्ता वि.सं. 1
3. एकपक्षीय ––विपक्षी संख्या 02 लगायत 08
4. पेरोकार सरकार –– उपस्थित

Vgey
उपखण्ड अधिकारी पदेन

:: आदेश दिनांक–09/12/2024

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी महोदय, करेड़ा भीलवाड़ा के प्रकरण संख्या 133/2012 राजस्व वाद मियाराम बनाम हीरा मे पारित निर्णय दिनांक 08/11/2016 व डिक्री दिनांक 12/11/2016 के विरूद्व एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा 151 जा0दी का पेश कर प्रोपर तामिल नही होने का आधार बताकर व वादी मियाराम द्वारा दीपा पुत्र लच्छु को लच्छु के भाई रामा के गोद पुत्र गलत तौर पर बताया जाने को आधार बनाकर एकपक्षीय निर्णय व डिक्री को निरस्त करने हेतु पेश किया गया। जिसे दर्ज रजिसटर किया गया व विपक्षीगण को सम्मन जारी किये, विपक्षी संख्या 01 के कायम मुकाम 1/1 से 1/5 द्वारा जवाब पेश किया गया, जिसमे अभिवचन किया कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र मे अपना निवास स्थान संजाडी का बाडिया बता रखा है, उक्त प्रकरण की जानकारी शुरू से ही है, प्रार्थीया केवल मात्र रामा की पुत्री व सहखातेदार होने से पक्षकार बनाया गया है, वाद मे उसके विरूद्व कोई अनुतोष नही चाहा गया है, उसके विरूद्व कोई अनुतोष भी नही दिलाया गया है, इसके बावजूद भी गलत तौर पर प्रार्थनापत्र पेश किया है व लच्छु जी की जायदाद पर मियाराम का मौके पर कब्जा था, उनके देहान्त उपरान्त उनके वारीसान मौके पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग कर रहे है, रामा जी व लच्छु जी दोनो भाई थे, रामा जी के कोई पुत्र संतान नही होने से लच्छु जी का पुत्र दीपा जो कि बगती का पति है, रामा जी के गोद चला गया, जिस कारण लच्छु जी की जायदाद पर दीपा का कोई हक अधिकार नही है। प्रार्थीया लेहरी व बगती द्वारा दुरभी संधी कर दोनो की तरफ से अलग अलग प्रार्थनापत्र पेष किया है व प्रार्थीया ने डे बाई डे देरी का कोई कारण नही बताया है। जिससे प्रार्थनापत्र खारीज करने का निवेदन किया गया।

दोनो पक्षो की बहस सुनी गयी । पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया जो कि रामा की पुत्री है व स्वयं संजाडी का बाडिया मे निवास करती है, जिसको प्रकरण की शुरू से ही जानकारी है व साथ ही न्यायालय निर्णय व डिक्री से प्रार्थीया का कोई हक अधिकार प्रभावित नही हुआ है व न ही कोई उसके विरूद्व निर्णय पारित हुआ है। जिससे प्रार्थीया को उक्त प्रार्थनापत्र लाने का कानूनन कोई अधिकार नही होकर केवल वादी को परेशान करने की गरज से उक्त प्रार्थनापत्र पेश किया है व उक्त प्रार्थनापत्र मे देरी का कारण भी माकुल नही बताया है। , अतः प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र आदेश 09 नियम 13 जा0दी0 खारीज किया जाना उचित प्रतित होता है। अत एवं

:: आदेश ::

अतः प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा 151 जा0दी0 सारहीन होने से खारीज किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 09.12.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)